तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **महेश कुमार ढिढारिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025 / 90**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(37) Portal Appl No 233510535457198/05816 / 2024 / 43 दिनांक 06.02.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आर.टी.आई. पोर्टल पर दिनांक 08.11.2024 को आवेदन संख्या 233087079509820 दर्ज किया गया। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त उक्त आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित होने से कारण संबंधित लोक सूचना अधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राज0 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित किया गया है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आर.टी.आई. आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित होने से कारण आवेदन दिनांक 12.11.2024 के माध्यम से संबंधित लोक सूचना अधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राज0 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर	